

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

कार्या०आ० संख्या-05/स्था० (डी.टी.ओ)-30/2013-

पटना, दिनांक:-

परिवहन विभाग में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में उल्लिखित जिला/चेक पोस्ट पर तुरंत के प्रभाव से स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला परिवहन पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4	5
1.	श्री मनोज कुमार शाही, जिला परिवहन पदाधिकारी	गोपालगंज	अररिया	पूर्णिया तथा किशनगंज (अतिरिक्त प्रभार)
2.	श्री अब्दुल रज्जाक, जिला परिवहन पदाधिकारी	गोड्डा (झारखंड)	खगड़िया	मधेपुरा
3.	श्री माधव कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी	औरंगाबाद	भोजपुर (आरा)	रोहतास (अतिरिक्त प्रभार)
4.	श्री अरुण कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी	रोहतास	सुपौल	अररिया (अतिरिक्त प्रभार)
5.	श्री भुपेन्द्र यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी	पू० चम्पारण	गोपालगंज	बलथरी चेक पोस्ट (अतिरिक्त प्रभार)
6.	श्री ब्रजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी	भोजपुर	नवादा	रजौली चेक पोस्ट (अतिरिक्त प्रभार)
7.	श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, जिला परिवहन पदाधिकारी	गया	जमुई	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) तथा प० चम्पारण (अतिरिक्त प्रभार)
8.	श्री नजीर अहमद, जिला परिवहन पदाधिकारी	किशनगंज	मुंगेर	मुजफ्फरपुर
9.	श्री आलोक कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी	नवादा	मुजफ्फरपुर	मुंगेर
10.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी	नालन्दा	सिवान	शिवहर
11.	श्री भरत भुषण प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी	पटना	कैमूर (भभुआ) रोहतास अतिरिक्त प्रभार	कैमूर (भभुआ)
12.	श्री जय प्रकाश नारायण, जिला परिवहन पदाधिकारी	गाजीपुर (उ०प्रदेश)	मधेपुरा	सारण (छपरा)
13.	श्री रवि कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी	खगड़िया	मोतिहारी (पू० चम्पारण)	जमुई
14.	श्री विकास कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी	मधेपुरा	दरभंगा	अरवल
15.	श्री चितरंजन प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी	मधुबनी	शिवहर/सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
16.	श्री लाल बाबु सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी	पू० चम्पारण	समस्तीपुर	दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार)
17.	श्री कृष्ण मोहन सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी	पटना	पूर्णियाँ	सिवान
18.	श्री पुरुषोत्तम, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी	नालन्दा	पटना	खगड़िया


2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
3. उपरोक्त जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब नव पदस्थापन वाले पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/—
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था० (डी.टी.ओ)-30/2013 पटना, दिनांक:-
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक/परिवहन विभाग के सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था० (डी.टी.ओ)-30/2013 3095 पटना, दिनांक:-13.06.2017
प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।